

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सीवान ।

पटना, दिनांक:- 28.3.18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या- 26-  
उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-  
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2954 दिनांक-23.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च 2018 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	सीवान	06	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	600000/- (छः लाख)	श्रम अधीक्षक, सीवान का पत्रांक-234, 235, 236 एवं 237 चारों दिनांक-27.03.2018 तथा पत्रांक-241 एवं 243 दोनों दिनांक-28.03.2018 के आलोक में (1) स्व. राजू कुमार यादव, आश्रित श्री नीरज कुमार यादव (भाई), ग्राम+पो0-तितरा, थाना-मैरवा, प्रखण्ड-जीरादेई, जिला- सीवान (2) स्व. अदालत सिंह, आश्रित सुगांती देवी, ग्राम-सिसवा खुर्द, पो0-लेभरी, थाना+प्रखण्ड-मैरवा, जिला-सीवान (3) स्व0 संतोष कुमार सिंह, आश्रित श्री चन्द्रमोहन राय (पिता), ग्राम-सहसरांव, पो0+थाना-असांव, प्रखंड-आंदर, जिला-सीवान (4) स्व0 विद्याभूषण तिवारी, आश्रित पुनम देवी (पत्नी), ग्राम-सहसरांव, पो0+थाना-असांव, प्रखंड-आंदर, जिला-सीवान (5) स्व0 धर्मेन्द्र कुमार, आश्रित रिकु देवी(पत्नी), ग्राम-हरपुर,पो0+थाना+प्रखंड-मैरवा, जिला-सीवान (6) स्व0 सुनील कुमार कुशवाहा, आश्रित पुनम देवी (पत्नी), ग्राम-मौजे टड़वा, पो0-सीवान, थाना-मु0 सीवान, प्रखंड-सीवान सदर, जिला-सीवान के भुगतान हेतु।
	कुल	06		600000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 6,00,000/- ( ₹ छः लाख ) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांश नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि. दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा ।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन  
28/3/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0- 189 पटना, दिनांक 28-3-18  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

28/3/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0- 189 पटना, दिनांक- 28-3-18  
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-133 (श्रम पक्ष) दिनांक-28.03.2018/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

\*स्पीड पोस्ट

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर इसका व्यय एवं RTGS आज ही सुनिश्चित करवा कर उसका उपयोगिता/प्रत्यार्पण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ससमय प्रेषित करवायेगें ।
3. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा ।

28/3/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/17 श्र0सं0- 189 पटना, दिनांक 28-3-18  
प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

28/3/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।